



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/.....

मंज गणना
257-A साहबगंजा

पत्रांक 111

इलाहाबाद नि० प्र० 2017/08
211006

दिनांक 13-4-2017

भूखण्ड संख्या/..... 3/1 योजना. ई.सं. 3 नगर. इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 24-3-17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या..... 650

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 13-4-2017 से 12-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ममटी हेतु 150.75 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 233.75 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3.5 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 111

/उपरोक्त

तददिनांक 13-4-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3.5 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय म.ह.वा.स. उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-3...

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी नीलिमा सादव

1/222 आवास विकास कामेनी इमी-3

इलाहाबाद

नि० प्र० 2016/31

दिनांक 23-5-2016

पत्रांक 168

भवन/भूखण्ड संख्या 1/222 योजना इमी-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14-3-2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 40/123 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-5-2016 से 22-5-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ममटी हेतु 107.18 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 121.89 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 168

/ उपरोक्त

तददिनांक 23-5-2016

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय चन्द्रमौज आजाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-3...

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/श्री फुला देवी

1/24 एम. आर्. जी. ई.सी. योजना संख्या 3

इलाहाबाद नि० प्र० 2017/07

दिनांक 13-4-2017

पत्रांक 113

भवन/ इलाहाबाद संख्या 1/24 योजना संख्या-3 ई.सी. नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 24-3-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 651

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 13-4-2017 से 12-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तथा ममटी हेतु 98.94 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 124.78 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 113

/उपरोक्त

तददिनांक 13-4-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय म. इ. ई. सी. उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

5700/2003



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

भाई०एस०जी० १००१-२००० प्रमाणित संस्था
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-द्वितीय
नीलगिरी कॉम्प्लेक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो
15700



IS



प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन बनाने
हेतु

स्वीकृति-पत्र(प्रथम चरण)

सेवा में

श्री/श्रीमती/कुमारी पुनीता बत्रा पुत्री श्री सुरेश कुमार सिंह
115 ख. आई. जी., झूली योजना सं० 3
इलाहाबाद

पत्रांक 520

/नि०प्र० 2015 /136

दिनांक: 28-11-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या 115 योजना झूली सं० 3 नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 07.11.2016 के क्रम में नि०प्र० रजिस्टर संख्या 499
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 28-11-2016 से 27-11-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्डों पर प्रथम बार निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड 35 को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
7. यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 184.14 वर्ग मी० भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है, भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।
8. यह स्वीकृति 110.06 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 184.14 वर्ग मीटर भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
9. 300 वर्ग मीटर से ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/सहायक
वास्तुविद नियोजक/वास्तुकला सहायक

पृ०सं०: 520

/ उपरोक्त /

तददिनांक 28-11-2016

प्रतिलिपि: 1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 35 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय चन्द्र शीतल आजाद नगर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को
उपरोक्त शर्त सं०-3 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/सहायक
वास्तुविद नियोजक/वास्तुकला सहायक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...*स्थलीय*

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/श्री *सहायनी देवी कुमारी*

3/698 L.I.G. योजना संख्या-3 झुंसी

पत्रांक *145*

इलाहाबाद नि० प्र० *2016/81*

दिनांक *28-4-2017*

भवन/भूखण्ड संख्या *3/698* योजना *झुंसी-3* नगर *इलाहाबाद*

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक *28-4-2017* के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या *653*

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक *28-4-2017* से *27-4-2022* तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मम्स्टी हेतु *31.90* वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये *60.59* वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- *35* उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक *28-4-2017*

पृ० सं० *145* / उपरोक्त
प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड *35* उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद *इलाहाबाद* को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय *मेहता* उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद *इलाहाबाद* को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
28/4/17
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...^{द्वितीय}

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शशी मिश्रा
2/234 L.P.C. झुंली योजना सं० 3
इलाहाबाद


पत्रांक 204

नि० प्रा० 2016/61

दिनांक 6-6-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 2/239 योजना झुंली योजना सं० 3 नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 26.05.2016 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 70/247
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 6-6-2016 से 5-6-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ~~मम्दी~~ हेतु 35.76 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 60.59 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।



विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
R.N.T.

पृ० सं० 204
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त

तददिनांक 6-6-2016

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
R.N.T.



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-तृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी.....सविता
2/76 सुंदरी योजना सं० 3
इलाहाबाद


पत्रांक 152

नि० प्र० 2017/25

दिनांक 2-5-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या.....2/76 योजना सुंदरी योजना सं० 3 नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 669
..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 2-5-2017 से 1-5-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 101.74 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 129.06 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।



विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 2-5-2017

पृ० सं० 152

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इन्दिरा नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्रीमती / कुमारी विमला श्रीवास्तव

3/150 - झंजी-3 इलाहाबाद

पत्रांक 172

नि० प्रा० 2016/54

दिनांक 25-5-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 3/150 योजना झंजी-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 11-05-2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 63/223

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25-5-2016 से 24-5-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल तथा ममली~~ हेतु 31.90 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 62.72 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 172

/ उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 25-5-2016

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3...

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~श्रीमती/श्री~~ अनिल कुमार सिंह

III-13 गंगा विहार लोपजाना, यूकेनट

इलाहाबाद नि० प्र० 2016/30

दिनांक 23-5-2016

पत्रांक 165-

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या 6/278 योजना झा. 3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 10-3-2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 29/12

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-5-2016 से 22-5-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल तथा तृतीय तल~~ हेतु 54.81 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 61.08 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 165 / उपरोक्त

तददिनांक 23-5-2016

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय यतदुर्गाज आजाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी श. गजान दीन मौर्य
डी० ए० ०३ इफको टाउनशिप विधानगर
इलाहाबाद - 212484


पत्रांक 362

नि० प्र० 2016/68

दिनांक 19-7-2016


भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या...1/114...योजना...मूसी-3...नगर...इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक...29.6.16...के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या...9.2/3.27
...के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 19-7-2016 से 18-7-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूखण्ड, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 114.84 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 181.35 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
Recd

पृ० सं० 362 / उपरोक्त
प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 आ. वि. काम. ले. सं. 10 प्र० आवास एवं विकास परिषद...इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय...आ. वि. काम. ले. सं. 10 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद...इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
Recd



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी धनंजय प्रसाद शुक्ल
7/273 एम-आर-जी, सुली एंठ 3
इलाहाबाद

पत्रांक 161

नि० प्रा०

दिनांक 4-8-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 6/167/1A योजना सुली एंठ 3 नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 682
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 4-5-2017 से 3-5-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 106.58 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 104.38 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
R-21
तददिनांक 4-5-2017

पृ० सं० 161

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
R-21
4/5/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~.....~~ कमल किशोर एवं युगल किशोर
ग्राम-डांडी पोस्ट-मिठौली जिला-इलाहाबाद

पत्रांक 114

नि० प्र० 2017/04

दिनांक 13-4-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/ ~~.....~~ 9/212 योजना ~~.....~~-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 24-3-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 649

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 13-4-2017 से 12-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल ~~.....~~ हेतु 437.76 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 260-00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 114

/उपरोक्त

तददिनांक 13-4-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय ~~.....~~ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी नीरज कुमारी लाहुरी एवं श्री शर्मा कुमारी लाहुरी
2/142 झुंसी योजना संख्या-3
इलाहाबाद

पत्रांक 63

नि० प्रा० 2017/09

दिनांक 23-2-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या 2/142 योजना झुंसी प्र० सं० 3 नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 612
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-2-2017 से 22-2-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ~~मम्दी~~ हेतु 111.84 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 18.5 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०

63

/उपरोक्त

तददिनांक 23-2-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...^{द्वितीय}

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी राधेश्याम तिवारी
340/175 बाई का बाग
इलाहाबाद


पत्रांक 516

नि० प्रा० 2016/67

दिनांक 24-11-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या 1/110 योजना शुद्धी गौ० सं० 3 नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.10.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 145/488
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 24-11-2016 से 23-11-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ममटी हेतु 97.09 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 175.6 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक


पृ० सं० 516

/उपरोक्त

तददिनांक 24-11-2016

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...^{द्वितीय}

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी स्मापति शर्मा
3/422 आवास विकास योजना, झुंसी गैंग सं० 3
इलाहाबाद


पत्रांक 229

नि० प्रा० 2017/24

दिनांक 28-6-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या 3/422 योजना झुंसी गैंग सं० 3 नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 173
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 28-6-2017 से 27-6-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ममटी हेतु 83.28 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 63.27 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
Date

पृ० सं०


229

/ उपरोक्त

तददिनांक 28-6-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
Date 28/6/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~श्रीमती/~~ रमेश कुमार श्रीवास्तव
प्लॉट-20 इकाई फूलपुर
इ.म.हा.का.द.

पत्रांक 247

नि0 प्र0 2017/52

दिनांक 13.7.2017

भवन/ ~~भूखण्ड संख्या/~~ संख्या 1/216 योजना ईसी-3 नगर इ.म.हा.का.द.

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20-6-17 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 817 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 13.7.2017 से 12-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ममटी हेतु 97.70 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 121.89 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

13/7/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक 13-7-2017

पृ0 सं0 247
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद इ.म.हा.का.द. को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय मे.र.का.द. उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद इ.म.हा.का.द. को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

13/7/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

आई०एस०जी० ५००१-२००० प्रमाणित संस्था
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-...
नीलगिरी काम्पलेक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो
IS 15700



उ० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1985 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु

स्वीकृति-पत्र(प्रथम चरण)

सेवा में

श्री/श्रीमती/कुमारी श. आर. मीरा
म. सं. 2/62 श. आर. जी., झूली योजना सं० 3,
इलाहाबाद,

पत्रांक. 521

/नि०प्रा० 2015/92

दिनांक: 28-11-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 2/62 योजना झूली क्र० सं० 3 नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2016 के क्रम में नि०प्रा० रजिस्टर संख्या 496
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 28-11-2016 से 27-11-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्डों पर प्रथम बार निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता, उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड 3.5 को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
7. यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 100.02 वर्ग मी० भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है, भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।
8. यह स्वीकृति 100.22 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 100.02 वर्ग मीटर भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
9. 300 वर्ग मीटर से ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/सहायक
वास्तुविद नियोजक/वास्तुकला सहायक

पु०सं०: 521 / उपरोक्त /

तददिनांक 28-11-2016

- प्रतिलिपि: 1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 35 उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय श. आर. जी. नगर उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को
उपरोक्त शर्त सं०-3 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/सहायक
वास्तुविद नियोजक/वास्तुकला सहायक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई, द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी, संजय एवं श्रीमती पूजा श्रीवास्तव
रज. आई. जी. 1/116 आवास विकास कालोनी, झुंसी-3
इलाहाबाद

पत्रांक 421

नि० प्रा० 2016/51

दिनांक 1-9-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 1/116 योजना झुंसी योजना सं० 3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 19.08.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 400

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 1-9-2016 से 31-8-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मदी हेतु 87.06 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 181.35 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 421

/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 1-9-2016

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद

को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद

को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
1-9-2016



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~श्रीमती~~/कुमारी

सन्तयम पादव

2/73/2 डी.सी. 3 इलाहाबाद

पत्रांक 173

नि० प्र० 2016/55

दिनांक 25-5-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या 2/73/2 योजना डी.सी. 3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 11-05-16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 64/223

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25-5-2016 से 24-5-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, ~~प्रथम तल~~ द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 75.30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 109.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं०

173

/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

Reant

तददिनांक

25-5-2016

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय: ~~रा.ग.प.न.ग.आवास~~ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

Reant



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई, द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सत्य प्रकाश सिंह
सं. आ. ई. जी. 10/330 सूची योजना सं० 3
इलाहाबाद


पत्रांक 65

नि० प्रा० 2017/18

दिनांक 23-2-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या 1/75 योजना सूची योजना सं० 3 नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 25/609
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-2-2017 से 22-2-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 104.68 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 121.89 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।



विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 23-2-2017

पृ० सं० 65
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त

तददिनांक 23-2-2017

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय-एन्ड रोडर आगाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
23/2/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~श्री~~ श्रीतारा प्रसाद तिवारी
D-11 - गंगा विहार कालोनी न्यू कन्ट
इलाहाबाद नि० प्र० २०१७/१३

पत्रांक 112

दिनांक 13-4-2017

भवन/ ~~भूखण्ड संख्या/ खण्ड संख्या~~ संख्या 5/64 योजना इसी-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 24-3-17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 648 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 13-4-2017 से 12-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल तथा तृतीय तल~~ हेतु 54.72 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 60.28 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 112

/ उपरोक्त

तददिनांक 13-4-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय मे. ६०११ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...३..

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~श्री~~ शिवांग सिंह

67/62 शहराग बाग सदर्
इलाहाबाद नि० प्रा० २०१५/११

पत्रांक 122

दिनांक 20-4-2017

भवन/ ~~भूखण्ड संख्या~~ संख्या 7/138 योजना अंश-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 13-4-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 647

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 20-4-2017 से 19-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।


2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ~~तथा~~ हेतु 313-97 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 181.35 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक


पृ० सं० 122
प्रतिलिपि :-

/ उपरोक्त

/ तददिनांक 20-4-2017

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय मं. इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~.....~~ सुरेश कुमार
8/249 - प्लॉट-3 इलाहाबाद

पत्रांक 243

नि० प्रा० 2017/51


दिनांक 11-7-2017

भवन/ ~~.....~~ संख्या 8/249 योजना प्लॉट-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20-6-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 818

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 11-7-2017 से 10-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~.....~~ तथा ममटी हेतु 80.89 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 121.89 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 243 / उपरोक्त
प्रतिलिपि :-

तददिनांक 11-7-2017

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय ~~.....~~ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3..

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~नीलगिरी/कम्पलेक्स~~ नरुण कुमार

1/213 झमी-3 इलाहाबाद

पत्रांक 158

नि० प्र० 2015/130

दिनांक 23-5-2016

भवन/ ~~भूखण्ड संख्या/...~~ संख्या 1/213 योजना झमी-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 18-3-2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 143/1126 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों व प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-5-2016 से 22-5-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ममटी हेतु 91.10 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 121.89 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

सं० 158

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद

को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय नरुण कुमार आजाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद

को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी वी०के० कटियाए एवं श्रीमती लालकृष्णा कटियाए
भवन सं० 10A/241 सुली गे० सं० 3
इलाहाबाद

पत्रांक 64

नि० प्रा० 2017/19

दिनांक 23-2-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 10A/241 योजना सुली गे० सं० 3 नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 610
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-2-2017 से 23-2-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मम्मी हेतु 60.90 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 75.72 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०

64

/उपरोक्त

तददिनांक

23-2-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इन्दिरा नगर, लखनऊ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक